# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—133/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/133)**

1. हजारी पुत्र राम जाति जाट निवासी गुजरवाडा तहसील सरवाड जिला केकडी।
2. लादू पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी गुजरवाडा तहसील सरवाड जिला केकडी।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. धनराज पुत्र श्योराज जाति जाट निवासी गुर्जरवाडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. सायरी बेवा धन्नी जाति जाट निवासी गुर्जरवाडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
3. महावीर पुत्र पूरणमल जाति राजपूत निवासी गुर्जरवाडा तहसील सरवाड जिला केकडी।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला केकडी।

**रेस्पोडेंट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 राजस्व वाद संख्या 22/2016 (2016/00460)**

**उपस्थितः—**

1. श्री सलमान खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित

## निर्णय

**दिनांकः— 29.04.2026**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2016 (2016/00460) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण

संख्या 22/2016 (2016/00460) में पारित आदेश दिनांक 09.10. 2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–10–2020 की प्रार्थीगण को पूर्व में जानकारी नहीं थी। परन्तु जब दिनांक 14–6–2024 को भूमि से रास्ता निकाले जाने की बात कही तो प्रार्थी को हल्का पटवारी ने बताया की रास्ते बाबत तो पूर्व में ही आदेश हो चुका है तब प्रार्थी ने अपने वकील से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन दिनांक 18.06.2024 को आवेदन कराया जो दिनांक 19.6.2024 को ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रार्थीगण उपरोक्त समस्त नकले लेकर दिनांक 21.6.2024 को अजमेर आया तथा अपना वकील नियुक्त कर तारीख जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करवाई है जिसमें जानबूझकर प्रार्थीगण ने कोई देरी नहीं की है बल्कि जो देरी हुई है वह सदभाविक है। प्रार्थीगण को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी बल्कि हल्का पटवारी द्वारा जब दिनांक 14–6–2024 को प्रार्थी की आराजीयात में से रास्ता निकालने की बात कही तब प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी हुई तथा प्रार्थीगण ने उसी निर्णय की प्रति लेकर निर्धारित समय सीमा में अपील प्रस्तुत करवा दी। जिसमें प्रार्थीगण ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है। बल्कि जो देरी हुई है वह सदभाविक है जिसे क्षमा किया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है। प्राथीगण का प्रकरण मेरिटोरियस है तथा प्राथी हितबद्ध पक्षकार है इसलिए प्राथी द्वारा अपील को अन्दरमियाद शुमार किया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

**RBJ(13)2006**

**INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 -** *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना

विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

***अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।***

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्टस को बिना सुने ही, बिना नोटिस तामिल करवाए रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किए वह किसी कल्याण नामक व्यक्ति ने लिए जिसकी पहचान ना तो पृष्ठ पर लिखी गई ना ही उसका संबंध अपीलांट से लिखा गया ओर सरसरी तौर पर बिना अपीलांट पर नोटिस तामिल करवाए उपरोक्त आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–12–2017 से इसी आधार पर निरस्त किया गया था कि रेस्पो0 धनराज के पास अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसके अपील रेस्पो0 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21–6–2019 को तहसीलदार सरवाड विवादित रास्ते के संबंध में स्वयं उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करे। उपरोक्त प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के पश्चात प्रथम तो ना तो अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस तामिल करवाया गया ओर मौका रिपोर्ट दिनांक 9–9–2020 को पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवा दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही रास्ता दिए जाने का विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 9–9–2020 भिजवाई गई जिससे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि खसरा नम्बर 517 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 511 में कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है ना ही पक्षकारान रास्ते के बाबत सहमत है एवं खसरा नम्बर 517 के सह खातेदार महारवीर सिंह पुत्र पूरण सिंह का कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 513, 512, 486 में होकर गुजरता है उपरोक्त रिपोर्ट से यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि कौन सा रास्ता दिया जाना उचित है, ना ही पक्षकारों की मौजूदगी में यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई, तथा रेस्पो0 के पास अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 510 से में रास्ता मौजूद है तथा खसरा नम्बर 513, 512, 484 में से भी वैकल्पिक रास्ता मौजूद है किन्तु फिर भी न्यायालय ने बिना कोई निष्कर्ष दिए रास्ता स्वीकृत किए जाने का निर्णय पारित किया है जो स्पष्टतया उनकी गलत मानसिकता का परिचायक है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट

में यह कहीं भी अंकित नहीं था कि रेस्पो० संख्या 1 के खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 511 में से रास्ता दिया जाना उचित है बल्कि मौका रिपोर्ट में यह अंकित था कि रेस्पो० संख्या 1 के सह खातेदार महावीर सिंह की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 513, 512, 486 में से होकर गुजरता है व 511 में कोई रास्ता मौजूद नहीं है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आराजीयात में से रास्ता कायम किए जाने का आदेश पारित किया है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित भूमि का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जो स्पष्ट गलत है क्योंकि कभी भी पक्षकारान की उपस्थिति में कोई मौका देखा ही नहीं गया ना ही किसी पक्षकार को नोटिस तामील करवाए गए ना ही किसी पक्षकार के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर मौजूद है, परन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ऐसी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 9–10–2020 को ना तो प्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर हुए, सिर्फ प्रार्थी स्वयं हाजिर हुआ तथा अप्रार्थीगण की गैर हाजिरी करते हुए, सरसरी तौर पर लगभग नॉन स्पीकिंग नॉन रिजण्ड आदेश पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं रेस्पो0 संख्या 1 स्वच्छ हाथों से नहीं गया है क्योंकि खसरा नं0 517 में जाने के लिए कदीमी रास्ता संयुक्त खातेदार महावीर सिंह की आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 512, 513, 486 आदि खसरा नम्बरान की भूमि स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहखातेदारी की आराजीयात है इसलिए मूल रास्ते से स्वयं के खेतों में से होकर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लिया जा सकता था परन्तु जानबूझकर उपरोक्त खसरा नम्बरान से रास्ता नहीं लिया तथा अपीलान्टस की भूमि को खराब करने की नियत से इस प्रकार की कार्यवाही की जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2016 (2016/00460) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.10.2020 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 414 जिसके हाल खसरा नम्बर 517 में आने जाने हेतु साबिक खसरा नम्बर 415 जिसके हाल खसरा नम्बर 511 में से 15 फिट रास्ते हेतु अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विधिवत रूप से नोटिस ही तामील नहीं करवाए गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस दिनांक 29.07.2020 को जारी किए गए परंतु उक्त नोटिस पर कल्याण नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं परंतु कल्याण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना हाजा न्यायायल के समक्ष पक्षकार ही नहीं था तथा कल्याण का अपीलांट्स से क्या संबंध है इसका भी नोटिस पर कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.09.2020 को प्रकरण में उभयपक्षों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है, चूंकि उक्त मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर नहीं है व मौका रिपोर्ट गांव के किन मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में बनाई गई है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि मौका रिपोर्ट बाबत पक्षकारों को किसी प्रकार का कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था।

तहसीलदार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह बताया कि खसरा नम्बर 517 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 511 में से बंद है तथा खसरा नम्बर 517 के खातेदार महावीर सिंह रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 513, 512 व 486 से आते जाते हैं परंतु तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते को मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के रूप में नहीं दर्शाया गया है। तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 517 में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में व नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 513, 512 व 486 को नहीं बताया गया है कि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है या नहीं तथा मौके पर चालू रास्ता है या नहीं इन सब तथ्यों का उल्लेख अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

वर्तमान प्रकरण की अपील पूर्व में भी हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई थी जिसे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2019 को स्पष्ट निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट निर्देश दिए जाते है कि मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में उभयपक्षों के समक्ष नियम 69 की विधिवत रूप से पालना करते हुए बनाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करे व अधीनस्थ न्यायालय संपूर्ण प्रक्रिया अपना कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

*उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।*

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2016 (2016/00460) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को विधिवत रूप से नोटिस तामील कर उभयपक्षों को मौका रिपोर्ट बाबत नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार

द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर यथासंभव दो माह में निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

9. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**